



# म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



(मध्यप्रदेश शासनका उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

रजिस्टर्डआफिस: ब्लाकनं. 2 शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041  
फैक्स:(0761) 2664450, e-mail: ce.ca@mptransco.nic.in,

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/पांच/1790

आदेश


दिनांक 15-06-2018

म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि. के आदेश क्रमांक.अस/एमपीपीटीसीएल/2046 दिनांक 01.07.2017 तथा आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई-6/4116 दिनांक 29.12.2017 की कंडिका 15 के तारतम्य में सभी पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को छठवें वेतनमान के अनुसार 136% एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 4% की दर से मंहगाई राहत देय है। म.प्र.शासन के ज्ञाप. क्रमांक एफ 9-6/2017/नियम/चार दिनांक 04 जून, 2018 के अनुक्रम में कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जुलाई 2017 से निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
छठवें वेतनमान के अनुसार दिनांक 01.07.2017 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 139% (3% की वृद्धि)
सातवें वेतनमान के अनुसार दिनांक 01.07.2017से	पेंशन/परिवार पेंशन का 5% (1% की वृद्धि)

- 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।
- इस आदेश के उपरांत बढी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह जून 2018 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह जुलाई 2017 से मई 2018 की अवधि की अंतर राशि (एरियर्स) का भुगतान एकमुश्त माह जून 2018 की देय पेंशन के साथ किया जावेगा।
- मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा।
- पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार

  
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)




क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/पांच/1791  
प्रतिलिपि-

दिनांक 15-06-2018

- 01 अवर सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 02 कार्यपालक निदेशक (सीआरए)/(मा.संसा.वि.सं.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 03 मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(प्रोक्योरमेंट)/(योजना एवं रूपांकन)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण एवं निरीक्षण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(कार्य)/(ट्रांस.पूर्व क्षेत्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 04 मुख्य अभियंता (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर।
- 05 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।
- 06 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
07. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 08 अतिरिक्त मुख्य अभियंता(आई.टी.-ईआरपी)/(सिविल-ट्रांस.)/(सतकर्ता)/(ट्रांसमिशन-पश्चिम क्षेत्र)/(ट्रांसमिशन-मध्य क्षेत्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/ इंदौर/भोपाल।
- 09 अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण)/400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., .....
- 10 संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 11 वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
- 12 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, प्लॉट नं. सी-19, 'E' ब्लाक, प्रकाशगंगा, 7वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई-400051.
- 13 अति. महाप्रबंधक (मा.स.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, रायपुर।
- 14 कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संचार)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण)/(कर्मशाला)/(400 के. व्ही. परीक्षण)/(उप भार प्रेषण केंद्र), संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., .....
- 15 उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 16 कल्याण अधिकारी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 17 निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 18 क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
- 19 वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/(के.ले.ई.)/म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड/म.प्र.पावर मैनेजमेंट/जनरेटिंग कं. लि., .....
- 20 वेब मास्टर।

टीप :- सरल क्रमांक 4, 5 एवं 6 के लिये।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के कियान्वयन हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

  
अधीक्षण अभियंता-दो

कार्या. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)